ायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ासीन अधिकारी : **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

स्व वाद संख्या : **47/2011**

ी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
2. भबूतराम पुत्र मंगलाराम
जातियान - जंगलिया,
निवासीगण - बोगासनी,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.28.02.2011</u>

स्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

<u>-:: निर्णय ::-</u> <u>दिनॉकः- 29/05/2015</u>

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने र्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं कार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद जा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा बर 123 रकबा 3-12 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि र्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर खनन कार्य ईम स्टोन का अवैध रुप से किया जा रहा है। दिनांक 14/02/2011 को खनिज के0 फोरमैन व पटवारी-निम्बोल द्वारा संयुक्त रुप से उपरोक्त आराजी का मौका ा गया तो मौका जांच (निरीक्षण) ख.नं. 123 में अवैध रुप से खनिज लाईम न के अवैध खनन पाये गये। जिसमें लगभग 18मी. x 5मी. x 5मी. तक मिट्टी ई गई। राज्य सरकार को इस तरह अवैध खनन कार्य करने से वितिय हानि चाई जा रही है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति अवैध से खनन कार्य कर खातेदारी शर्तो (अधिकार) का उल्लंघन किया गया एवं ुरक्षित खनन कार्य किया जा रहा है। जिसमें मानव जीवन को भारी हानि हो कती है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा ीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अवैध खनन) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त पर अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान ाग, सोजतसिटी, जिला-पाली की रिपोर्ट अनुसार खातेदारों की खातेदारी भूमि को स्त करने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रति0 ने सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 123 रकबा 18मी. X 5मी. X 5मी. किस्म बा0दो0 में लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया हैं। प्रति0 को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 123 रकबा 18मी. X 5मी. X 5मी. किस्म बा0दो0 जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-निम्बोल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

...स :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

बनाम प्रतिवादीगण :-

...लदार, जैतारण
... होल्डर राजस्थान सरकार
...ील-जैतारण, जिला-पाली

1. गांगीलाल पुत्र मंगलाराम
2. भबूतराम पुत्र मंगलाराम
जातियान - जंगलिया,
निवासीगण - बोगासनी,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

... वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत ...177 राजस्थान काश्तकारी ...यम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 47/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व ... तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश ... हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर ...जाती है कि सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण ...-पाली) के ख.नं. 123 रकबा 18मी. X 5मी. X 5मी. किस्म बा0दो0 जो ... स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की ...ारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम ... जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। ...लदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर ... प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील ... दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

...नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/05/2015 को ... किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

[Stamp: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)]

	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
...प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
...प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
...प वजह सबूत			महनताना वकील		
...नताना वकील			खर्चा गवाहान		
... गवाहान			फीस कमीशनर		
... कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
...त ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
...जान:-			मिजानः-		

...:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए ...ाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner